उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अपील सं0 एस–01/ए/0526/2025

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री योगी एमपी सिंह	प्रमुख वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
समक्ष : डा0 राजकुमार विश्वकर्मा, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।	

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलकर्ता अनुपस्थित हैं तथा प्रतिपक्षी जनसूचना अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर, श्री विकास यादव ऑनलाइन मोड पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित हुए है तथा आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन. प्रभाग, गोरखपुर की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार, उप वन रेन्जर भी उपस्थित हुए हैं।

धारा	मांगी गई सूचना/अनुतोष
6(1)	प्रकरण – इस आरटीआई आवेदन में आवेदक ने वन विभाग, गोरखपुर डिवीजन से कुल **6 बिंदुओं पर जानकारी** मांगी है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: 1. डिप्टी रेंजर **जगदंबा पाठक** को पिछले **4 वर्षों से बाकी रेंज का प्रभार** क्यों दिया गया, जबकि यह पद रिक्त है। 2. ऐसे रेंजरों की सूची दें जिन्हें कोई रेंज नहीं सौंपी गई है, साथ में उनकी वर्तमान पोस्टिंग जानकारी। 3. यह स्पष्ट करें कि **रेंजरों की पोस्टिंग की निगरानी** कौन-कौन अधिकारी कर रहे हैं। 4. बाकी रेंज की रिक्ति भरने के लिए **स्थानीय कार्यालय द्वारा भेजा गया मांग पत्र** उपलब्ध कराएं। 5. उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी **रेंजरों व डिप्टी रेंजरों की संख्या, नाम और कार्यकाल** की जानकारी दें। 6. सरकार द्वारा **ट्रांसफर नीति की अनदेखी कर जगदंबा पाठक को लाभकारी पोस्टिंग** देने का कारण बताएं।

आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र कुमार उप वन रेन्जर द्वारा आयोग के समक्ष श्री विकास यादव, प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर का लिखित अभिकथन दिनांक 21.07.2025 प्रस्तुत किया गया, जिसका आयोग द्वारा अवलोकन किया गया।

आज सुनवाई में उपस्थित प्रतिवादी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि मांगी सूचना का संबंध प्रमुख वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है तथा सूचना उन्हीं के स्तर से देय है

आदेश

उपरोक्त क्रम में प्रमुख वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलकर्ता को उसके आवेदन पत्र के अनुक्रम में वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायें तथा कृत कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

प्रश्नगत अपील में जनसूचना अधिकारी, वन एवं वन्यजीव, जनपद–गोरखपुर को अवमुक्त किया जाता है।

पारित आदेश के साथ अपीलकर्ता के द्वितीय अपील की प्रति (समस्त संलग्नकों सहित) नोटिस के साथ संलग्न कर प्रमुख वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नोटिस प्रेषित की जाए।

साथ ही पारित आदेश की प्रति नोटिस के साथ संलग्न कर अपीलकर्ता को नोटिस प्रेषित की जाए।

वाद वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 28.08.2025 को पेश हों।

24.07.202

Speed Post

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल , गोरखपुर

पत्रांक – 281 /16एफ16ए(सूचना अधिकार) दिनांक, गोरखपुर, अगस्त 01 /2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

विषय– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ– मा0 राज्य सूचना आयोग 7/7/ए आर0टी0 भवन विभूति खण्ड लखनऊ नोटिस संख्या 202507501N100084 दिनांक 14.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राज्य सूचना आयोग 7/7/ए आर0टी0 भवन विभूति खण्ड लखनऊ नोटिस संख्या 202507501N100084 दिनांक 14.07.2025 (छाया प्रति संलग्नक–1) का अवलोकन करने की कृपा करें। मा0 राज्य सूचना आयोग 7/7/ए आर0टी0 भवन विभूति खण्ड लखनऊ नोटिस संख्या 202507501N100084 दिनांक 14.07.2025 के कम में आवेदक योगी एम0पी0 सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किये गये आवेदन दिनांक 12.02.2025 के कम में प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर के पत्रांक 250/16एफ16ए(सूचना अधिकार) दिनांक 21..07.2025 (छाया प्रति संलग्नक–2) द्वारा सूचना आवेदक के ई मेल आई0डी0 yogimpsingh@gmai .com के माध्यम से भेजा गया ।

दिनांक 24.07.2025 को मा0 राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के समय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर ऑनलाईन आयोग से जुडे रहे । आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि आवेदक योगी एम0पी0 सिंह द्वारा मांगी गयी सूचना प्रदेश स्तर की है। अतः प्रदेश स्तर से सूचना आवेदक को दिलवाया जाय । माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक 28.08.2025 को नियत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना प्रदेश स्तर की है। आवेदक को सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 कार्यालय से दिनांक 28.08.2025 के पूर्व उनके ई–मेल आई0डी0 yogimpsingh@gmai.com पर एवं उसकी प्रति आयोग की ई–मेल आई0डी0 hearingcourts1.upic@up.gov.in पर उपलब्ध कराने की महती कृपा करें । आवेदक को दी गयी सूचना/अभिलेख की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि इस कार्यालय से भी आवेदक को सूचना उपलब्ध करायी जा सके ।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय

Bamik d. Brahma

(बी0सी0 ब्रह्मा)
मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

संख्या– 281 /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि किसी भिज्ञ अधिकारी को प्रधान मुख्य वनसंरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय से सम्पर्क कर सूचना आवेदक को दिनांक 28.08. 2025 के 02 दिन पूर्व तक उनके ई–मेल पर भेजवाना सुनिश्चित करें एवं भेजी गयी सूचना की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायें ताकि इस कार्यालय से भी सूचना आवेदक को भेजी जा सके ।

Bamik d. Brahma

(बी0सी0 ब्रह्मा)
मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर

संलग्नक-2

ई-मेल द्वारा मे

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 250 /16एफ16ए(सूचना अधिकार) दिनांक, गोरखपुर, जुलाई 21 /2025

सेवा में,

Shri yogi M P Sing
Add: Mohalla Surekhapuram Jabalpur Road Mirzapur
Pin 231001State Uttar Pradesh M0b 7379105911

विषय- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ- मा0 उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग गोमतीनगर लखनऊ की नोटिस संख्या 202507501N100084 दिनांक 11-07-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित माननीय राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 के नोटिस संख्या 202507501N100084 द्वारा प्राप्त आपके पत्र दिनांक 12.02.2025 द्वारा मांगी गयी सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

1- आप द्वारा मांगी गयी सूचना प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय में संधारित नहीं हे। आपने पूरे वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारियों जिन्हें रेंज चार्ज नहीं दिया गया है कि सूचना चाही गयी है। यह सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

2- इस बिन्दु में चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या 544/43-2-2015-सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए । आपने सूचना के अधिकार अधिनियम 200 के 1(d) of section 4 का उल्लेख करते हुए श्री जगदम्बा पाठक डिप्टी रेंजर को रेंज प्रभार में रखे जाने का कारण जानना चाहा है। आप अवगत हों कि श्री जगदम्बा पाठक डिप्टी रेंजर के रेंज प्रभार दिये दिये का आदेश"इस कार्यालय से जारी नहीं किया गया है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 200 के 1(d) of section 4 में प्राविधानित है कि " प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण बताना है। डिप्टी रेंजर को रेंज प्रभार में रखे जाने का कारण उक्त नियमों के अन्तर्गत बताना सूचना के अधिकार अधिनियम में प्राविधानित नहीं है।

3- रेंजर का स्थानान्तरण एवं तैनाती उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग-1 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के स्तर से की जाती है।

4- क्षेत्रीय वन अधिकारियों का मासिक परिलेख प्रतिमाह भेजा जाता है।

5- रेंजर के प्रदेश में कुल स्वीकृत पद की सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं होती है। इस सूचना की मांग प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय से की जा सकती है।

6- रेंजर को रेंज चार्ज में तैनात करने का कार्य इस कार्यालय से नहीं किया जाता है। आप द्वारा चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या 544/43-2-2015-सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए ।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर ।

संख्या- 250 /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनरर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पीठासीन अधिकारी मा0 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग कक्ष संख्या-9 उ0प्र0 लखनऊ को ई-मेल hearingcourts1.upic@up.gov.in द्वारा सूचनार्थ प्रेषित ।

2- जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ ।

2- मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर ।